न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

इजराय वाद सं0–102/1967

24.04.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। निर्णीत ऋणी के तरफ से दाखिल दिनांक–20.04.2023 का आवेदन प्रचालित किया गया। निर्णीत ऋणि का कथन है कि प्रस्तुत वाद डिक्रीदार के दखल दहानी हेतु चल रहा है जिसमें डिक्रीदार के पक्ष में पुराना प्लाट नंबर 3996 के 7 डी0 एराजी का डिक्री हुआ है। पुराना प्लाट नंबर 3996 का कुल रकबा 11.75 डी0 है जिसका डिक्री पारित हुयी है उसमें 7 डी0 का चौहदी दर्ज न होकर प्लाट नंबर 3996 का पूरे रकबा का चौहदी दर्ज है जबकि पुराने प्लाट से 3 नया प्लाट 4727, 4728 एवं 3729 क्रमशः 5 डी0, 4 डी0 एवं 5 डी0 बना है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार से यह लिखित लेना आवश्यक हो गया है कि वो पुराने प्लाट से बने नये प्लाट के किस में एवं किस चौहदी के साथ दखल चाहता है उनके द्वारा निर्णीत एवं डिक्री के खिलाफ मुकदमा उच्चतम न्यायालय में दाखिल है जो लंबित है। अतः उक्त आवेदन के आलोक में डिक्रीदार से नया खाता, प्लाट, रकबा एवं चौहदी की लिखित रूप से मांग की जाए। डिक्रीदार द्वारा दाखिल दिनांक–24.04.2023 के प्रतिउत्तर में कहा है कि जजमेंट ऋणी का यह आवेदन कानून रूप से पोषणीय नहीं है। आवेदन सही तथ्य को छुपाकर गलत आधार पर दाखिल किया गया है। नंबरी वाद 64 सन् 1963 में 1967 में ही अतिक्रमण का डिक्री डिक्रीदार के पक्ष में हुआ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कंफर्म रहा तथा हर जगह निर्णीत ऋणी कंटेस्ट किए एवं वर्तमान इजराय वाद 1967 से ही चल रहा है जिसमें पुराने खाता खेसरा के आधार पर डिक्री हुआ था एवं इजराय तालिका में माननीय जिला न्यायाधीश बक्सर के आदेश से नया खाता खेसरा भी दर्ज होकर रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है जिसमें चौहदी भी अंकित है जो डिक्री के आलोक में जिस पर निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति पहले की गयी थी। इस वाद में सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति हो चकी है तथा उनका फीस भी न्यायालय में जमा हो चुका है एवं सिर्फ न्यायालय के आदेश से डिक्रीदार को डिक्रीसुदा एराजी में दखल लेना है। इजराय तालिका में पुराना एवं नया खाता खेसरा भी दर्ज है जो दोनों पक्षों की सहमति से माननीय जिला न्यायाधीश के यहां से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। निर्णीत ऋणी द्वारा ही सर्वे जानकार अधिवक्ता के बहाली के लिए आपत्ति किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सर्वे

जानकार अधिवक्ता बहाल हुए है। प्रस्तुत वाद में दखल दहानी हेतु नाजिर एवं नजारत, चपरासी तथा सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति हो चुका है तथा उनका फीस भी जमा है। जजमेंट ऋणी द्वारा जान बूझकर दखल दहानी नहीं होने देने के नियत से गलत आवेदन दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निर्णीत ऋणी द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों को सुना। वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि निर्णीत ऋणी का यह कथन की डिक्रीदार द्वारा लिखित रूप में किस–किस प्लाट पर दखल दहानी कराना है यह स्पष्ट नहीं किया है की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिक्री के अनुसार ही दखल दहानी की जाती है और चूँकि वाद में सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है और उनके देख–रेख में ही दखल दहानी का कार्य पारित डिक्री के अनुसार सम्पन्न होगा। डिक्री में स्वयं यह स्पष्ट है कि किस भूमि पर तथा कितनी भूमि पर दखल दहानी की जानी है। प्रस्तुत वाद सन् 1967 का है जो काफी पुराना है। निर्णीत ऋणी द्वारा जान बूझकर यह आवेदन दखल दहानी के कार्य में बिलंब करने हेतु किया गया है। अतः निर्णीत ऋणि के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–20.04.2023 का आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक–27.04.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव